फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

सरकार जरिये एस.एच.ओ. शिवदासपुरा बनाम जगदीश प्रसाद बणजारा

केस संख्या 139/2023 ( गौ वंशीय पशु अधिनियम 1995 )

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 19.10.2023 | पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी जगदीश प्रसाद बणजारा के अधिवक्ता उपस्थित है।<br>थानाधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा की एफ.आई.आर. संख्या 578/2023 ब सिलसिले राजस्थान गौ वंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 (1) के अनुसार दिनांक 25.08.2023 को सूचना मिलने पर करीब 10.22 पीएम पर गौ वंश को अवैद्य तरीके से भर कर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर टोल प्लाजा टौंक रोड बरखेडा के पास दौराने नाकाबंदी एक ट्रक नम्बर आरजे 09 जीए 7572 को रोक कर जांच किये जाने पर यह ट्रक पूर्णतया 3 से 4 साल की आयु के बछडों से भरा हुआ बंद अवस्था में पाया गया । ट्रक में गो वंशीय बछडो को स्वांस लेने में दिक्कत आ रही रही थी। ट्रक में गौ वंश ठूंस ठूंस कर भरे होने से एक-दूसरे बछड़ों के पैरो के नीचे रोंदे जा रहे थे । मौके पर गिनती करने पर ट्रक में कुल 29 बछडे पाये गये, जिनमें से 3 बछड़े पैरो से रौंदने जाने के कारण मृत अवस्था में पडे हुये मिले। मौके पर पकड़े गये चालक ने अपना नाम विजय पुत्र किशना बणजारा जाति बणजारा निवासी आजाद नगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला भीलवाडा होना बताया व दूसरे ने अपना नाम राजू पुत्र श्री गोवर्धन जाति बणजारा निवासी बोरडा पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाडा होना बताया। गौ वंश को परिवहन करने बाबत वैद्य दस्तावेज मांगने पर नहीं होना बताया। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 6 (क) मे अभिग्रहित वाहन एवं धारा 7 में अभिग्रहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। गौ वंश को थानाधिकारी पुलिस थाना शिवदासपुरा द्वारा पूर्व में ही प्रबन्धक गौ शाला हिंगोनिया गौ शाला की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा ट्रक में गौ वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ भर कर ले जाते पाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत वाहन एवं धारा 7 के तहत गौ वंश एवं ट्रक को जब्त सरकार किये जाने के आदेश फरमावें।<br>अप्रार्थी ट्रक मालिक के सुयोग्य अधिवक्ता ने दलील प्रस्तुत की कि उक्त गौ वंश (बछड़े) बिना ट्रक मालिक की जानकारी के ड्राईवर अपने स्तर से ले जा रहा था। ट्रक मालिक का इसमें कोई कसूर नहीं है। प्रकरण में जब्त ट्रक का अप्रार्थी जगदीश बणजारा ही एक मात्र स्वामी है। जब्त ट्रक अप्रार्थी के परिवार | केस डायरी प्राप्त की<br>(हस्ताक्षर) 9783<br>PS शिवदासपुरा<br>26-10-23 |

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

सरकार जरिये एस.एच.ओ. शिवदासपुरा बनाम जगदीश प्रसाद बणजारा

केस संख्या /2023 ( राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 )

| | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप |
|---|---|---|
| | 19.10.2023 | की आय का मुख्य स्त्रोत है। ट्रक खुले में खडा है जिससे खराब होने का अंदेशा है। अतः जब्त ट्रक को सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावे।<br>उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।<br>अप्रार्थीगण द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के एक ही ट्रक में ठूंस ठूंस कर कुल 29 गो वंश को ले जाते पाया गया है। जिसमें से 3 बछडें दम घुटने व एक दूसरे के पैरों के नीचे रौंदे जाने से मृत पाये गये है। अप्रार्थी का यह कृत्य पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। वाहन की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं है, यह साबित करने में अप्रार्थी नाकामयाव रहा। गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थीगण की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्ध होती है। अतः उक्त प्रकरण में जब्त गौ वंश एवं ट्रक नम्बर आरजे 09 जीए 7572 को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।<br>आदेश आज दिनांक 19.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।<br>(प्रकाश राहपुरोहित)<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर (ग्रामीण) |